रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112026-278052
CG-DL-E-19112026-278052

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 893] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2026/कार्तिक 26, 1948
No. 893] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2026/KARTIKA 26, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2026

सा.का.नि. 1000(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खेल बोर्ड (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खेल बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत नियुक्त बोर्ड के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचियाँ अभिप्रेत हैं; और

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. **लागू होना** — ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स का स्तर वह होगा, जो उक्त अनुसूची-1 के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि—** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची-1 के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. **निरर्हता** — वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया—** जहाँ अनुसूची-1 के अधीन विनिर्दिष्ट सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जानी हो, वहाँ केंद्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के लिए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगी तथा नियुक्तियों की प्रक्रिया या तो सीधे अथवा केंद्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अन्य समान निकायों में भर्ती का पर्याप्त अनुभव रखने वाली किसी मान्यता प्राप्त कृतिक एजेंसी के माध्यम से पूरी करेगी।

8. **प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया—** जहाँ अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जानी है, वहाँ केंद्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से, अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगी।

9. **वास सुविधा—** बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी, वेतन मैट्रिक्स के तत्समान स्तर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार के प्रवृत्त नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे।

10. **अनुशासनिक कार्यवाही—** बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी, वेतन मैट्रिक्स के तत्समान स्तर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार के प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन होंगे।

11. **सेवा की शर्तें—** (1) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, ऐसे विषयों में जिनके संबंध में इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, वेतन मैट्रिक्स के तत्समान स्तर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार के प्रवृत्त नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी।

(2) भविष्य निधि स्कीम, समूह बीमा या अन्य किसी बीमा योजना, अधिवार्षिता की आयु, पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विषयों में, प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी, अपने मूल मंत्रालय, विभाग या संगठन पर लागू नियमों द्वारा ही शासित होते रहेंगे।

(3) बोर्ड, उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट स्कीमों के संबंध में देय अभिदाय, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से वसूल करेगा तथा उक्त राशि बिना किसी विलंब के उधारदाता मंत्रालय, विभाग या संगठन को प्रेषित करेगा और विलंब से प्रेषण के कारण ब्याज की कोई भी हानि होगी, उसका वहन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(4) बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी, अपने मूल संगठन में अपनी पात्रता के अनुसार या इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट अनुसार चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

12. **शिथिल करने की शक्ति** -जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हे लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

13. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयू-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची 1

[नियम 3, 4, 5, 7 और 8 देखें]

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सचिव.	1* (2026)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन।	भारत सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (1,44,200–2,18,200 रूपये)।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सिविल सेवाओं के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 क (131100-216600 रूपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100-215900 रूपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति	लागू नहीं होता।	लागू नहीं।

				के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; और (ii) सेवा संबंधी मामलों, प्रशासन, सतर्कता, स्थापना तथा वित्तीय मामलों में अनुभव। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. निदेशक (विधिक)	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन।	भारत सरकार के समूह 'क' पद के समतुल्य ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रुपये)	लागू नहीं ।	लागू नहीं ।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं ।	लागू नहीं ।	लागू नहीं ।	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति/** प्रोन्नति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपये) और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस	**विभागीय** प्रोन्नति **समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-** 1. राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सदस्य — अध्यक्ष; 2. भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का मंत्रालय का नामनिर्दिष्ट — सदस्य; 3. राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सचिव — सदस्य और संयोजक।	लागू नहीं ।

				पद पर नियुक्ति के पश्चात् समेकित रूप से 10 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि; और (ii) विधिक मामलों पर कार्य करने का न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (₹ 67,700–2,08,700) में कार्यरत विभागीय उप निदेशक (विधिक), जिन्होंने इस ग्रेड पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जो		

				प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार किए जाने हेतु विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों, पर बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया है। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम		

				आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप निदेशक (विधि)	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन।	भारत सरकार में समूह 'क' के पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (₹67,700–2,08,700)	चयन	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। .	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56,100–1,77,500) पर कार्यरत सहायक निदेशक (विधि(में से, जिन्हें इस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा का अनुभव हो। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-** 1. राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सदस्य – अध्यक्ष; 2. भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का मंत्रालय का नामनिर्दिष्ट – सदस्य;	लागू नहीं।

				परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100–1,77,500) या समतुल्य पदों पर	3. राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सचिव – सदस्य और संयोजक।	

				नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्: — (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि; और (ii) विधिक मामलों में कम-से-कम पाँच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** प्रोन्नति के क्रम में आने वाली पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में		

				इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक निदेशक (विधि)	2* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार में समूह 'क' के पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56,100–1,77,500)।	चयन	आयु चालीस वर्ष से अधिक नहीं हो। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के मामले में आयु-सीमा में पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी)। टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,

					हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-मंडल और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निहित की गयी है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(क) अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में साठ प्रतिशत अंकों सहित स्नातक की उपाधि; और (ii) विधिक क्षेत्र में कम-से-कम पाँच वर्ष का अनुभव, जिसमें खेल विनियमन के क्षेत्र में कम-से-कम एक वर्ष का अनुभव शामिल हो। (ख) वांछनीय : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से साठ प्रतिशत अंक सहित विधि में स्नातकोत्तर उपाधि; और	लागू नहीं।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण: सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने हेतु कम-से-कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा और दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44,900–1,42,400) में विधि सहायक में से, जिन्होंने इस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** : जहाँ अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा निर्धारित अर्हता या पात्रता सेवा की आधी अवधि या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो तथा अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सदस्य – अध्यक्ष; 2. भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का मंत्रालय का नामित व्यक्ति – सदस्य; 3. राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सचिव – सदस्य या संयोजक। **विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु) जिसमें**	लागू नहीं।

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान में कम-से-कम दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के लिए अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी। टिप्पण 2: सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में,				के लिए उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जैसा कि उनके कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के लिए पहले ही पूरा कर लिया गया होगा। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण करते हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (₹47,600–1,51,100) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्:—	**निम्नलिखित शामिल होंगे:-** 1. राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सदस्य – अध्यक्ष; 2. भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का मंत्रालय का नामित व्यक्ति – सदस्य; 3. राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सचिव – सदस्य या संयोजक। .	

अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी, यदि चयन के किसी भी चरण में सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने हेतु उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।				(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि; और (ii) विधिक मामलों में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति के सीधे क्रम में आते हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन अथवा केंद्रीय सरकार के विभाग में धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन		

				वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.विधिक सहायक	3* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ख' के पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900–1,42,400 रुपये)	लागू नहीं ।	आयु पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के आधार पर सरकारी सेवक के मामले में आयु-सीमा में पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अनिवार्य: (i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में साठ प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की उपाधि; और (ii) न्यूनतम तीन वर्ष का विधिक अनुभव; (ख) वांछनीय: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में साठ प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का	लागू नहीं ।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने हेतु कम-से-कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करना होगा।	सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी - (क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करते हों; अथवा (ख) जिन्होंने अपने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (₹35,400–1,12,400) या समतुल्य स्तर के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों, अर्थात्: — (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि; और	**विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-** 1. राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सदस्य – अध्यक्ष; 2. भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का मंत्रालय का नामिति – सदस्य 3. राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सचिव – सदस्य आर संयोजक।	लागू नहीं ।

अनुभव। **टिप्पण 1:** सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित रूप में कारण अभिलिखितकरते हुए, अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के लिए अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी। टिप्पण 2: सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में, अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी, यदि चयन के किसी भी चरण में सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने हेतु उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।				(ii) विधिक मामलों में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन अथवा केंद्रीय सरकार के विभाग में धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

अनुसूची 2

[नियम 11 का उप-नियम (4) देखें]

1. **बाह्य रोगी चिकित्सा व्यय —** (1) अधिकारी और कर्मचारी स्वयं तथा परिवार के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजन के लिए, "परिवार" पद का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में नियत किया गया है।

(2) वर्ष के दौरान बाह्य रोगी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की 1 जनवरी को मूल वेतन और महंगाई भत्ते सहित एक मास के वेतन, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

(3) दावे के साथ चिकित्सक का परामर्श-पत्र और चिकित्सक द्वारा उपचार, दवाओं की खरीद आदि के लिए जारी मूल नकद रसीदें/बिल होनी चाहिए तथा वर्ष के दौरान वेतनवृद्धि या प्रोन्नति प्राप्त होने से 1 जनवरी को निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा प्रभावित नहीं होगी।

(4) वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वार्षिक पात्रता आनुपातिक आधार पर सीमित होगी।

(5) बाह्य रोगी उपचार, बोर्ड द्वारा संधारित पैनल में सम्मिलित प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों से ही कराया जाएगा।

2. अंतःरोगी उपचार — (1) अंतःरोगी उपचार के प्रयोजन के लिए, बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी इस निमित्त बोर्ड द्वारा बोर्ड अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के पात्र होंगे और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल में आवास तथा नर्सिंग होम सुविधा सहित उपचार की लागत, समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगी।

(2) उपर्युक्त पैरा (1) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अस्पताल वही होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

(3) प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार केवल आपातकाल की स्थिति में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों की सलाह पर कराया जा सकेगा।

———————————

[फा. सं. 12-7/2026-शासन-1**]**
कुणाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2026

G.S.R. 1000(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (j) of sub-section (2) of section 31 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the National Sports Board (Appointment, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, **—**

(a) "Act" means the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025);

(b) "Board" means the National Sports Board established under sub-section (1) of section 5 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Board appointed under section 5 of the Act; and

(d) "Schedule" means the Schedules annexed to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act, shall have the meaning as assigned to them in the Act.

3. **Application.—** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of Schedule I annexed to these rules.

4. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** — The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule I.

5. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule I.

6. **Disqualification.** — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Procedure for appointment by direct recruitment.—** Where appointment by direct recruitment as specified under Schedule I is undertaken, the Central Government, in consultation with the Board, shall invite applications for the posts of officers and employees of the Board through advertisement and shall process appointments, either directly or through a recognised professional agency having adequate experience in recruitment for the Central Government, public sector undertakings or other similar bodies.

8. **Procedure for appointment on deputation basis.—**Where appointment by deputation as specified under Schedule I is undertaken, the Central Government, in consultation with the Board, shall invite applications for the posts through wide advertisement for appointments to posts as specified in Schedule I.

9. **Accommodation.—** The officers and employees of the Board shall be eligible to House Rent Allowance in accordance with the extant rules of the Central Government as applicable to officers and employees drawing pay and allowances in the corresponding level in the pay matrix.

10. **Disciplinary proceedings.—** The officers and employees of the Board shall be subject to disciplinary proceedings in accordance with the extant rules and regulations of the Central Government as applicable to officers and employees drawing pay and allowances in the corresponding level in the pay matrix.

11. **Conditions of service.—** (1) The conditions of service of the officers and employees of the Board, in the matters for which no provision or insufficient provision is made in these rules, shall be governed by the extant rules and orders of the Central Government as applicable to officers and employees drawing pay and allowances in the corresponding level in the pay matrix.

(2) In the matters relating to the Provident Fund Scheme, Group Insurance or any other insurance schemes, age of superannuation, pension and retirement benefits, officers and employees of the Board working on deputation basis shall continue to be governed by the rules applicable to them in their parent Ministry or department or organisation.

(3) The Board shall recover contributions toward the schemes as specified in sub-rule (2), from the salary of such officers and employees and remit the amount without any delay to the lending Ministry or department or organisation and any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Board.

(4) The officers and employees of the Board shall be eligible to avail medical facilities as per their entitlement in the parent organisation, or as specified in Schedule II annexed to these rules.

12. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE I

[*See* rules 3, 4,5, 7 and 8]

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Secretary.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Government of India.	Level -14 in the pay matrix (Rs.144200-218200).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion deputation/ absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	**Deputation:** Officers of the Central Government or All India services or Central Civil	Not applicable.	Not applicable.

				Services, — (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level -13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: — (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) experience in service matters, administration, vigilance,		

				establishment and financial matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Director (Legal).	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Government of India.	Level -13 in the pay matrix (Rs. 123100 - 215900).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation/promotion.	**Deputation/ promotion:** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration, — (a) (i) holding	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Member, National Sports Board	Not applicable.

				analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with combined ten years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) and in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700 - 208700) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: — (i) Bachelor's degree in law from a recognised University or institute; and (ii) minimum eight years experience in handling legal matters. **Note 1:** The departmental Deputy Director (Legal) in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with ten years of regular service	nominated by Chairperson National Sports Board-Chairperson; 2. Nominee of Ministry not below the rank of Joint Secretary to Government of India-Member; 3. Secretary, National Sports Board – Member and Convener.	

				in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsider. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Deputy Director (Legal).	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Government of India.	Level -11 in the pay matrix (Rs. 67700 - 208700).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation.	**Promotion:** From amongst Assistant Directors (Legal) in level-10 in the pay matrix (Rs 56100-177500) with five years of regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Member, National Sports Board nominated by Chairperson National Sports Board- Chairperson; 2. Nominee of Ministry not below the rank of Joint Secretary to Government of India- Member; 3. Secretary, National Sports Board – Member and Convener.	Not applicable.

				Government or State Government or Union territory Administration,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 10 in the pay matrix (Rs. 56100 - 177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: — (i) Bachelor's degree in law from a recognised University or institute; and (ii) minimum five years experience in handling legal matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationalists shall not be		

				eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Director (Legal).	2* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Government of India.	Level -10 in the pay matrix (Rs. 56100 - 177500).	Selection.	Not exceeding forty years of age. (Relaxable for the Government servant upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed

					for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(a) **Essential:** (i) Bachelors degree in law with sixty per cent. marks from recognised University or institute; and (ii) possess legal experience of atleast five years including minimum one year of experience in sports regulation. (b) **Desirable:** (i) Master's degree in Law with sixty per cent. marks from a recognised University or institute; and (ii) possess atleast two years of experience of working with Central Government or State Government or Union territory	Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By promotion, failing which by direct recruitment, failing both by deputation.	**Promotion:** From amongst Legal Assistant in level-7 in the pay matrix (Rs 44900-142400) with five years of regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Member, National Sports Board nominated by Chairperson National Sports Board- Chairperson; 2. Nominee of Ministry not below the rank of Joint Secretary to Government of India- Member; 3. Secretary, National Sports Board - Member or Convener. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Member, National Sports Board	Not applicable.

Administration or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are				eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 8 in the pay matrix (Rs.47600 - 151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: — (i) Bachelor's degree in law from a recognised University or institute; and (ii) minimum three years experience in handling legal matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the	nominated by Chairperson National Sports Board- Chairperson; 2. Nominee of Ministry not below the rank of Joint Secretary to Government of India- Member; 3. Secretary, National Sports Board – Member and Convener.	

not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.				direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationalists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Legal Assistant.	3* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in the Government of India.	Level -7 in the pay matrix (Rs. 44900 -142400).	Not applicable.	Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for the Government servant upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications

					from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential: (i) Bachelor's degree in law with sixty per cent. marks from recognised University or institute; and (ii) possess legal experience of atleast three years; (b)**Desirable:** (i) Master's degree in Law with sixty per cent. marks from a recognised University or institute; or (ii) possess atleast one year of experience of working with Central Government or State Government	Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment, failing which by deputation.	**Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience,	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Member, National Sports Board nominated by Chairperson National Sports Board- Chairperson; 2. Nominee of Ministry not below the rank of Joint Secretary to Government of India- Member; 3. Secretary, National Sports Board- Member and Convener.	Not applicable.

or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from				namely: — (i)Bachelor's degree in law from a recognised University or institute; and (ii) minimum two years experience in handling legal matters. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.						

SCHEDULE II

[S*ee* sub-rule (4) of rule 11]

1. **Outdoor medical expenses.** — (1) Officers and employees shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

   Explanation.— For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

   (2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay, including basic pay and dearness allowance, on 1st January of the year whichever is lesser.

   (3) The claim should be supported by a doctor's prescription and the original cash memos, bills for treatment by the doctor, purchase of medicine, and the release of increment or promotion during the year, shall not affect the reimbursement limit as on 1st January.

   (4) For the officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

   (5) The outdoor treatment shall be taken from authorised medical attendants from the panel as maintained by the Board.

2. **Indoor treatment.** — (1) For the purpose of indoor treatment, the officers and employees of the Board shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Board in this behalf, and for this purpose, the cost of treatment including hospital accommodation and nursing home facility shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.

   (2) The authorised hospitals for the purpose of paragraph (1) above shall be the same as are available to Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

   (3) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the authorised medical attendants only in emergency.

[F.No. 12-7/2026-Governance-1]

KUNAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.19 16:58:56 +05'30'